

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मैनपुरी।
चालानी वाद संख्या-829/2026
राज्य
बनाम
बालक

धारा- 292 BNS
थाना- बेवर

दिनांक- 14-03-2026

पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रस्तुत हुई। प्रार्थी बालक की ओर से आपराधिक वाद संख्या- 829/2026, धारा- 292 BNS थाना- बेवर, जिला मैनपुरी के प्रकरण में स्वेच्छया जुर्म किया गया।
सुना तथा अवलोकन किया गया।

प्रार्थी/अभियुक्त बालक को स्वेच्छया जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर अन्तर्गत धारा- 292 BNS में मुवलिग- 10/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अभियुक्त द्वारा अर्थदण्ड अदा न करने पर उसे उक्त अपराध में तीन दिन का साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

(विमलेश सरोज)
J.O. Code 2379
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
मैनपुरी